7. प्रस्तावित अभिन्यास के अपूर्ण भू-खण्डों का पूर्णरूपेण समायोजन किया जावें ।

8. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावें । इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान के अनुसार वृक्षारोपण सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगरपालिका एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावें ।

9. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 23 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।

10. भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन करवाने के पश्चात अनुमोदित अभिन्यास को स्थल पर चिन्हित करवाकर अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन इस कार्यालय से एक माह की अवधि के भीतर करवाना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ही स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा अन्यथा सत्यापन के बगैर किया गया विकास कार्य अवैध मान्य किया जावेगा।

11. प्रस्तावित अभिन्यास में मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 30(4) के अनुसार कमजोर आय वर्ग के लिए अभिन्यास में दर्शाये अनुसार 24 वर्ग मीटर के 20 भवन निर्मित कर उपलब्ध कराया जाना होगा तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए विकसित भूखण्ड के 10 प्रतिशत भूमि पर [illegible] 70 वर्ग मीटर के पूर्ण विकसित भूखण्ड आरक्षित रखना होगा । इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी नगरपालिका विदिशा द्वारा सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् ही विकास अनुमति एवं भवन अनुज्ञा दी जाना होगा ।

12. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत् रखना होगा ।

13. इस अभिन्यास के भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें ।

14. अनुमोदित अभिन्यास की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

15. मार्गो के पूर्ण विकास विद्युत प्रदाय (स्ट्रीट लाईट) जल प्रदाय ओवर हैड टेंक सेप्टिक टेंक पार्को का विकास खुले क्षेत्रों तथा मार्गो के किनारे वृक्षारोपण ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक सेवा सुविधाओं अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावें ।

16. **संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा, तथा मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध नही किया जावें ।**

17. **स्थल पर अभिन्यास से अनुमोदन संबंधी जानकारी 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा । व इसे विकास स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावें जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सके ।**

18. **संस्था एवं नगरपालिका विदिशा को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।**